भीम

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पेलेस के पास, जयपुर

क्रमांकः–एफ. 1 (8)( )सामा./सान्याअवि/2024/88698 जयपुर, दिनांकः– 19.02.2024

विज्ञप्ति

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती (दिनांक 14 अप्रैल, 2024) के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति राज्य स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कार दिये जाने हैं। अतः पुरस्कारों के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव मय जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अभिशंषा आमंत्रित किये जाते हैः–

क्र.सं.	पुरस्कार	पात्रता की शर्तें/बिन्दु	राशि
1	राज्य स्तरीय अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार–2024	1. व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी हो/संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो। 2. जिला कलक्टर द्वारा उत्तम चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण–पत्र। 3. संस्था/व्यक्ति अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत रहा हो। 4. सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित 5. योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुँचाने में उल्लेखनीय भूमिका/योगदान रहा हो। 6. आवेदनकर्ता की आयु 40 वर्ष से अधिक हो तथा संस्था कम से कम 5 वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत हो। 7. संस्था/व्यक्ति द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये गये हों।	राशि रूपये 1.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र
2	राज्य स्तरीय अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार–2024	1. राजस्थान की मूल निवासी हो/संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो। 2. जिला कलक्टर द्वारा उत्तम चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण–पत्र। 3. संस्था/महिला अनुसूचित जातियों/जनजातियों की महिलाओं के उत्थान हेतु कार्यरत रही हो। 4. महिला उत्थान के क्षेत्रों में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुँचाने में उल्लेखनीय योगदान रहा हो। 5. आवेदनकर्ता महिला की आयु 40 वर्ष से अधिक हो तथा संस्था कम से कम 4 वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत हो। 6. संस्था/महिला द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिये कार्य किये गये हों।	राशि रूपये 51,000 एवं प्रशस्ति पत्र
3	राज्य स्तरीय अम्बेडकर न्याय पुरस्कार–2024	1. अधिवक्ता राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. जिला कलक्टर तथा जिला सेशन न्यायाधीश द्वारा उत्तम चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण–पत्र। (प्रत्येक का पृथक–पृथक प्रमाण पत्र) 3. अधिवक्ता द्वारा कम से कम 10 वर्ष से वकालत हेतु पंजीकृत होकर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क/न्यून शुल्क पर पैरवी कर ऐसे प्रकरणों का निर्णयों सहित विवरण तथा इन निर्णयों से हुए प्रभाव। 4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों एवं राजकीय सेवाओं के कार्मिकों के लिये प्रचलित अधिनियमों/नियमों में कोई संशोधन करवाया हो/नये अधिनियम/नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई हो।	राशि रूपये 51,000 एवं प्रशस्ति पत्र

नोटः–आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जी 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर के पते पर दिनांक 29.02.2024 तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः जमा कराए जा सकते हैं। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जाऐंगे। गत वर्षों में पुरस्कृत संस्था/व्यक्ति आवेदन नहीं करें। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www. sje.rajasthan.gov.in एवं संबंधित जिले के जिलाधिकारी, सान्याअवि के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु दूरभाष नं0 0141–2220194 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(जगजीत सिंह मोंगा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव